राजस्थान सरकार
Government of Rajasthan
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
DIRECTORATE OF MINES & GEOLOGY
खनिज भवन, उदयपुर – 313001 / Khanij Bhawan, Udaipur – 313001
दूरभाष / Phones: 2415091-95, फेक्स / Fax: 0294 - 2410526

क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी/प्लॉट/792 दिनांक: 23.03.2021

## खनन प्लॉट/ क्वारीं लाईसेंस प्लॉट ई–नीलामी गाईड–लाईन

**राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय–iii के अंतर्गत खनन प्लॉटों /क्यू एल प्लॉटों में भाग लेने की निम्न प्रक्रिया रहेगी:–**

1 विभाग द्वारा चिन्हित किये गये खनन प्लॉट / क्वारीं लाईसेंस प्लॉट को ई–नीलामी से आंवटित किये जाने के प्रावधान किये गये है। ई–नीलामी की प्रक्रिया पारदर्शी एवं गोपनियता से करने के लिए विभाग द्वारा इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म सेवा प्रदाता कंपनी MSTC Ltd से MOU किया गया है। MSTC Ltd के माध्यम से संपूर्ण ई–नीलामी कराई जाती है।

2 अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा विभिन्न अप्रधान खनिजों के खनन प्लॉट बनाये जाकर तथा चिन्हिन करण करते हुए ई–नीलामी हेतु निदेशालय को प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है। प्लॉट के ई–नीलामी के प्रस्ताव प्राप्त होने पर परीक्षणोंपरान्त् इन प्लॉट की नीलामी के लिए नियमानुसार 15 दिवसीय नोटिस जारी करते हुए ई–नीलामी विज्ञप्ति जारी की जाती है। ई–नीलामी विज्ञप्ति में खनन प्लॉट/ क्वारीं प्लॉट की ई–नीलामी का विस्तृत कार्यक्रम के साथ बिड सिक्यूरिटी, बोली लगाने हेतु आरक्षित राशि, शर्तें आदि की संपूर्ण जानकारी अंकित करते हुए विभागीय वेबसाईट एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म सेवा प्रदाता कंपनी MSTC Ltd पर सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जाती है तथा ई–नीलामी की सूचना जन–साधारण को देने के उद्देश्य से नीलामी का संक्षिप्त नोट दो समाचार–पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है। ताकि ज्यादा से ज्यादा बोलीदाता ई–नीलामी में भाग ले सके।

3 विभाग द्वारा प्रत्येक प्लॉट की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन शुल्क 7500/– रूपये लिया जाता है।

4 प्लॉट की ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता से बिड सिक्यूरिटी ली जाती है। जो कि अप्रधान खनिजों के लिए अलग–अलग स्थिर भाटक (Dead rent) को आधार लेते हुये बिड सिक्यूरिटी निर्धारित की जाती है और कम से कम 1,00,000/– रूपये होती है या स्थिर भाटक (Dead rent) की दो गुना होती है (जो भी अधिक हो), क्यू एल प्लॉटों के मामलों में बिड सिक्यूरिटी वार्षिक क्वारीं फिस के बराबर होगी।

5 प्लॉट की आरक्षित राशि का निर्धारण स्थिर भाटक (Dead rent) को आधार मानकर ही किया जाता है। आरक्षित राशि खनिजवार स्थिर भाटक (Dead rent) की पांच गुना होती है तथा क्यू एल प्लॉटों के मामलों में वार्षिक क्वारीं फिस का पांच गुना निर्धारित है। जिसे प्रिमीयम राशि भी कहा जाता है। इस प्रिमीयम राशि के उपर ही बोलीदाता बोली लगाता है। यह प्रिमीयम राशि बोलीदाता खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होती है। उच्चतम

बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किश्तों में जमा करानी होगी जो इस प्रकार है:–

(अ) प्रथम किश्त (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई–ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होती है।

(ब) द्वितीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व जमा करानी होती है।

(स) तृतीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होती है।

(द) अंतिम किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होती है।

6 ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होता है। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ले सकता है। ई–नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्पलेक्स, टोंक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141–2742208 व ई–मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।

7 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई–मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास–II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होती है।

8 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉर्ड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई–मेल आई. डी. पर भिजवाई जाती है। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को वापिस ई–मेल से भिजवाने होते है।

9 ई–नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक आवेदन शुल्क एवं बिड सिक्यूरिटी जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक प्लॉट के लिए

अलग–अलग आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस–जिस प्लॉट हेतु बोली लगायेगा, उस प्लॉट के अनुसार आवेदन शुल्क व बिड सिक्यूरिटी राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी।

10 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये है) से ही बोली प्रस्तुत कर सकता है तथा बोलीदाता जिस प्लॉट के लिए बोली लगाना चाहता है। उसके लिए बिड प्रतिभूति राशि नियत तिथि को जमा कराते हुए प्लॉट की नीलामी के तय समय से पूर्व "सेल्फ ओथराइज" करना आवश्यक है।

11 बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 5000 रूपये के गुणांक (multiple) में बढाई जा सकेगी।

12 उच्चतम बोलीदाता का चयन कम्प्यूटर सिस्टम द्वारा स्वतः किया जाकर इसकी सूचना सेवा प्रदाता द्वारा जरिये ई–मेल उच्चतम बोलीदाता को भेजी जाती है।

13 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में लगाई गई बोली राशि (प्रिमीयम राशि) का 40 प्रतिशत राशि के बराबर राशि जमा कराते हुए एवं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करने आवश्यक होते है :–

(i) बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी नो–ड्यूज प्रमाण पत्रों जो कि ई–नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।

(ii) विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ–पत्रः– यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/– के स्टाम्प पेपर की स्केन प्रति देनी है।

(iii) बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफीकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।

(iv) बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।

(v) आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।

(vi) PAN card / TIN की प्रति।

(vii) एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र आदि की प्रति।
(viii) ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।

14 सफल बोलीदाता द्वारा बोली समाप्ति के 15 दिवस में लगाई गई बोली राशि (प्रिमीयम राशि) का 40 प्रतिशत राशि के बराबर राशि जमा कराते हुए एवं निर्धारित दस्तावेज संबंधित खनि अभियंता/ सहायक खनि अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत कर दिये ज़ाने पर मंशा–पत्र (Letter of Intend) जारी की जाती है।

15 बोलीदाता को मंशा पत्र में वर्णित समयावधि में माईनिंग प्लान, ई.सी. परफोरमेंस सिक्यूरिटी आदि जमा करानी होती है। सभी पूर्तियां बोलीदाता द्वारा कर दिये जाने के उपरान्त् खनन पट्टा/ क्वारीं लाईसेंस नियमों में वर्णित समयावधि तक स्वीकृत करते हुए खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

**ई–नीलामी से संबधित अन्य बिन्दुः–**

1 विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट व सेवा प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबवाईट पर दी जाती है इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जाता है।

2 नीलाम किये जा रहे खनन प्लॉट जहॉ है, जैसे है के आधार पर नीलाम किए जाते है। बोलीदाता सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत् बोलीदाता पूर्ण रूप से बोली लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जाती है।

3 ई–नीलामी हेतु कम से कम 2 बोलीदाताओं का होना आवश्यक है। यदि एक बोलीदाता द्वारा ही नीलामी में भाग लिया जाता है तो इसे नीलामी होना नहीं मानते हुये एकल बोलीदाता को उच्चतम बोलीदाता घोषित नहीं किया जावेगा।

4 सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उच्चतम प्रिमीयम राशि का 40 प्रतिशत एवं दस्तावेज संबंधित कार्यालय में जमा नहीं कराये जाते हैं, तो उसकी जमा बिड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों हेतु ई–ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जाता है एवं उसके नीचे के बोलीदाताओं को क्रमिक रूप में प्राप्त उच्चतम बोली पर प्लॉट लेने हेतु अवसर दिया जाता है।

5 सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई उच्चतम बोली राशि का 40 प्रतिशत प्रथम किश्त के रूप में संबंधित कार्यालय में जमा करा देने के उपरान्त् असफल बोलीदाताओं को उनकी जमा बिड प्रतिभूति राशि का रिफण्ड कर दिया जाता है।

6 सफल बोलीदाता को उसकी बिड प्रतिभूति राशि उसके द्वारा परफोरमेन्स सिक्यूरिटी जमा कराने के पश्चात MSTC Ltd द्वारा तीन दिन में लौटा दी जाती है।

(के॰ बी॰ पण्ड्या)
निदेशक

क्रमांक निदे/अ.ख.अ. नीलामी/प्लॉट/793 - 798 दिनांक: 23.03.2021

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है:–

1 समस्त अतिरिक्त निदेशक (खान) जोन।
2 समस्त अधीक्षण खनि अभियंता–वृत।
3 समस्त खनि अभियंता।
4 समस्त सहायक खनि अभियंता।
5 डीएमजीओएमएस, के॰ का॰ उदयपुर को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
6 शाखा प्रबंधक, एमएसटीसी लि0 को वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

23.3.2021
(अनिल खिमसरा)
अधीक्षण खनि अभियंता (नीप्र)